HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12817/2026
CNR: RJHC020785522026 | URN: CRLMB / 23586U / 2026

Gajendra Singh S/o Gangadan @ Gangaram, R/o Village Sonkh, Police Station Kathumar, District Alwar (Rajasthan) (At Present Confined In Central Jail, Alwar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Girish Khandelwal
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

30/10/2026

कार्यालय द्वारा इंगित त्रुटियों को दूर किए जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या–1/2026 पर सुना गया।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं योग्य अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों की रोशनी में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तथा कार्यालय द्वारा इंगित त्रुटि को दूर किया जाकर आरोप पत्र की प्रति को अभिलेख पर लिया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह प्रार्थना–पत्र **पुलिस थाना–कठूबर जिला–अलवर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **175/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 109 (1) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/25 व 5/27 आयुध अधिनियम में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी को मामले में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उस पर यह आक्षेप है कि पहले हुए एक झगडे के बाद वह अन्य लोगों के साथ परिवादी दिगम्बर के घर के बाहर आया और वहां आकर उसने चार राउंड फायर किए। मौके पर चार खाली कारतूस व दो जीवित कारतूस बरामद

होना बताये गये हैं। उनका तर्क है कि इस घटना में किसी व्यक्ति के कोई चोट नहीं आई है। परिवादी दिगम्बर ने स्वयं अपना चिकित्सकीय परीक्षण करवाने से इनकार किया है। उनका तर्क है कि इस घटना की जानकारी टेलिफोन के माध्यम से पुलिस उप–निरीक्षक गुलाब सिंह को प्राप्त जुई थी, जिस पर वह मौके पर पहुंच गया था, जहां परिवादी दिगम्बर भी मौजूद था तथा उस समय उसने गुलाब सिंह को यह नहीं बताया था कि गोलियां प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा चलाई गई थी बल्कि उसने बताया कि जाट लोगों द्वारा गोलियां चलाई गई थी। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में जिन अन्य लोगों द्वारा घटना कारित करना बताया गया है, उन्हें अनुसंधान के उपरांत अभियुक्त बनना ही नहीं पाया गया है। घटना के सम्बन्ध में कोई मोबाईल क्लिप या सीसीटीवी फुटेज भी पेश नहीं हुए हैं। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 3.8.2026 से निरन्तर अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण में अनुसंधान के उपरांत आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। मामले की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जाये।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आक्षेप है कि उसने शराब के नशे में परिवादी दिगम्बर के घर के बाहर जाकर चार राउंड गोलिया चलाई। उसके आधिपत्य से एक देशी कट्टा भी बरामद हुआ है। प्रकरण के प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण रामकिशोर, हरीचन्द, संतराम व रामदयाल ने अपने कथनों में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ही मौके पर गोलियां चलाना कहा है। गंभीर अपराध है। उसे जमानत पर मुक्त नहीं किया जाये।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त पर अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 109 (1) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/25 व 5/27 आयुध अधिनियम का आक्षेप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के अनुसार दिनांक 28.5.2026 को पहले प्रार्थी–अभियुक्त व परिवादी दिगम्बर के मध्य झगडा हुआ, जिसमें परिवादी दिगम्बर के कंधे पर चोट आई। इसके बाद परिवादी ने फोन करके अपने भाईयों को बुलाया जो उसे घर ले गये। उसके बाद रात्रि के 8–9 बजे गजेन्द्र अन्य लोगों के साथ उसके घर आया और चार राउण्ड फायर किए। मौके पर चार खाली कारतूस व दो जीवित कारतूस बरामद होना बताये गये हैं। उसके आधिपत्य से एक देशी कट्टा भी बरामद हुआ है। प्रकरण के प्रत्यक्षदर्शी

साक्षीगण रामकिशोर, हरीचन्द, संतराम व रामदयाल ने अपने कथनों में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ही मौके पर गोलियां चलाना कहा है। प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में, समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

22/JITENDRA SINGH PANWAR